(31)

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 713–एक/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–01–2011 पारित व्दारा – अतिरिक्त कमिश्नर, चम्बल संभाग मुरैना – प्रकरण क्रमांक 148/1989–90 निगरानी

मोहम्मद इशाक पुत्र गेंदे खॉ
निवासी श्योपुर कलॉ तहसील एंव
जिला श्योपुर कलॉ म0प्र0 ––आवेदक

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन
2– नगरपालिका परिषद श्योपुर कलॉ
व्दारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी
श्योपुर कलॉ मध्यप्रदेश ––––अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री डी0के0शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक 5–1 –2016 को पारित)

यह निगरानी अतिरिक्त कमिश्नर, चम्बल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 148/1989–90 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–7–2010 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने तहसीलदार श्योपुर कलॉ को श्योपुर कलॉ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 19 एंव 93 (आगे जिसे वादोक्त भूमि अंकित किया गया है) में वृक्षारोपण अनुमति हेतु आवेदन दिया। तहसीलदार श्योपुर ने प्रकरण क्रमांक 13 अ–61/1987–88 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 31–5–88 से वृक्षारोपण की अनुमति प्रदान की। तहसीलदार के प्रकरण का परीक्षण करने पर अनियमिततायें किया जाना पाने से अपर कलेक्टर, श्योपुर कलॉ ने निगरानी प्रकरण क्रमांक 112/1989–90 दर्ज किया तथा आवेदक की

सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 22-5-1990 पारित किया तथा भूमि नगरपालिका क्षेत्र स्थित होने से तहसीलदार का आदेश दिनांक 31-5-88 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 148/1989-90 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-7-2010 से निगरानी अस्वीकार की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि वादोक्त भूमि शासकीय अभिलेख में नगरपालिका भूमि अंकित है एंव तत्समय श्योपुर नगर एंव वर्तमान में जिला बन चुके श्योपुर कलॉ स्थित भूमि है । मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 239 में व्यवस्था दी गई है कि :-

धारा 239 - दखल रहित भूमि में रोपित फलदार वृक्षों और अन्य वृक्षों में अधिकार -

1. जहां इस संहिता के प्रवृत होने के पूर्व, किसी व्यक्ति व्दारा किसी ग्राम की दखल रहित भूमि में कोई फलदार वृक्ष लगाया गया हो और वैसा अभिलिखित हो, जहां इस बात के होते हुये भी कि ऐसी भूमि राज्य सरकार में विहित है, ऐसा व्यक्ति और उसके हित उत्तराधिकारी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे वृक्षों के कब्जे तथा फलोपयोग के लिये किसी रायल्टी या अन्य प्रभार का भुगतान किये बिना हकदार होंगे।

विचाराधीन प्रकरण में भूमि दखल रहित नहीं है अपितु नगर पालिका की नगरेत्तर क्षेत्र की भूमि है जिसके कारण ऐसी भूमि

पर वृक्षारोपण की अनुमति देने हेतु तहसीलदार सक्षम नहीं है जिसके कारण अपर कलेक्टर, श्योपुर कलॉ ने निगरानी प्रकरण क्रमांक 112/1989-90 में पारित आदेश दिनांक 22-5-1990 से तहसीलदार के आदेश दिनांक 31-5-88 को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं है और इन्हीं कारणों से विद्वान अतिरिक्त कमिश्नर, चम्बल संभाग मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 148/1989-90 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-7-2010 में अपर कलेक्टर श्योपुर कलॉ के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अतिरिक्त कमिश्नर, चम्बल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 148/1989-90 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-7-2010 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर